न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर

उनवान संपत्ती बनाम कांती

मुकदमा संख्या / वर्ष 31/2020

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/4/22	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मनन कर तहसीलदार जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि वादी द्वारा वाद बाबत् खसरा नम्बर 95 रकबा 4.3630 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 4.3630 है0 ग्राम चक बासडी, प0 ह0 सरनाडूंगर, भू0 अ0 निरीक्षक क्षेत्र माचवा तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। उक्त में सहखातेदारान् के मध्य तकासमा पेश किया गया, उक्त वाद मे सभी पक्षकारान् की पुख्ता तामील करवाई गई। विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 95 की भूमि पर माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज की होने से रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है में यथास्थिति का नोट अंकित है। उक्त वाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज़ (जमाबंदी) का पूर्ण अध्ययन कर यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ख0 न0 95 रकबा 4.3630 है0 के माफी मन्दिर होने बाबत् रेफरेंस श्रीमान अति0 जिला कलक्टर द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है, इस भूमि बाबत मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस विचाराधीन रहते सहखातेदारों के मध्य तकासमा करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि बाद तकासमा न ही तकासमे अनुसार नक्शे में तरमीम की जाएगी व न ही अपने हिस्से / कब्जे की भूमि का बेचान, न ही किस्म परिवर्तन किया जा सकेगा। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरांत भी सहखातेदारों को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा, बल्कि मौके पर विवाद होने के आसार उत्पन्न हो जायेंगे। अब उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज़ हो कृषि कार्य कर रहे हैं। उन पर विभाजन न होने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड रहा। अतः वाद तकासमा ग्राम चक बासडी, प0 ह0 सरनाचौड़, भू0 अ0 निरीक्षक क्षेत्र माचवा, स्थित खसरा नम्बर 95 रकबा 4.3630 है0 इस आशय से खारिज किया जाता है कि रेफरें[illegible] नियमानुसार यदि वह तकासमे के अधिकारी [illegible] जा[illegible] हैं तो यह वाद पुनः पेश कर, चाहा [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Arshdeep Brar Date: 2022.06.13 12:35:36 IST Reason: SelfAttested अरशदीप [illegible]र (आ.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	